# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

( पीठासीन अधिकारी–जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 52 / 2023

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| शंकरराम गोदपुत्र नारणाराम, उम्र 24 साल, जाति–जाट, निवासी–कागों की ढाणी, तहसील–सिणधरी, जिला– बालोतरा | | 1. लुम्बाराम पुत्र मूलाराम, उम्र 55<br>2. नारणाराम पुत्र मूलाराम, उम्र 50 साल<br>3. लिछमणाराम पुत्र मूलाराम, उम्र 45 साल<br>4. सारोंदेवी पत्नी मूलाराम, उम्र 75 साल<br>5. बाबूलाल पुत्र चुतराराम, उम्र 50 साल<br>6. गोंमाराम पुत्र चुतराराम उम्र 45 साल, जातियान जाट, निवासी–कागों की ढाणी, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा<br>7. तहसीलदार सिणधरी |

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री जोगराज पोटलिया वकील वादी।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

## निर्णय

दिनांक– 06.08.2025

संक्षेप में वाद एवं वादी की ओर से प्रस्तुत वाद तथ्य इस प्रकार है,कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक पूर्व पुरुष स्व. श्री मूकनाराम के वंशज है और हिन्दु विधि से शासित होतें है। कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 412, 414, 415 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0485, 15.8564 कुल रकबा 15.9373 हैक्टेयर, मौजा–कागों की ढाणी, पटवार मंडल–पायलां कलां, तहसील सिणधरी मे [illegible] । के पूर्व पुरुष स्व. श्री मूलाराम के जीवित सम[illegible] उक्त खसरो की भुमि का प्रथम जमाबदी जा[illegible] में वादी [illegible] पिताजी काबिज है और अपना [illegible] प्रतिवादी संख्या 02 [illegible] अविवाहित होने के कारण उनके कोई जायन्दा संतान नही है। इसलिये अपना नाम रखने व अपने वंश को आगे बढाने के लिये अपने बड़े भाई लुम्बाराम का पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:54:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

शंकराराम को गोद लिया गया, जिसका तहसील कार्यालय से दिनांक 13–06–2023 को पंजीयन गोदनामा करवाया गया है। इस प्रकार भूमि में वादी का 1/16 हिस्सा पैतृक हिस्से के अनुसार बनता है और प्रतिवादीगण का भी जमाबन्दी के अनुसार हिस्सा है। तथा इसी तरह से मौके पर पक्षकारान का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। कि विनायदावा जब पक्षकारान की भूमि संयुक्त रूप से पक्षकारान के हिस्से में दर्ज हुई है तथा वादी पक्षकारान का अपना नाम व अपना हिस्सा पृथक रुप से राजस्व रेकर्ड में नहीं खुलने, बादी के द्वारा अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर लोन आदि नहीं ले पाने व अन्य मुआवजा नही मिलने पर तब–तब बमुकाम–कागों की ढाणी में पैदा हुआ। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 412, 414, 415 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0485, 15.8564 कुल रकबा 15.9373 हैक्टेयर, मौजा–कागों की ढाणी, पटवार मंडल–पायलां कलां, तहसील सिणधरी में वादी का 1/16 हिस्सा को पृथक रुप से घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से गवाह शंकराराम पी. डब्ल्यु –01, नारणाराम पी.डब्ल्यु–02, लुम्बाराम पी.डब्ल्यु–03 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दियां EXP-01 मिसल बन्दोवस्त EXP-02 लाईसंस की प्रति EXP-03a राशन कार्ड की प्रति EXP-04 व पंजीवद्व गोदनामा की प्रति EXP-05 प्रस्तुत किये।

वकील वादी की वहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक पूर्व पुरुष स्व. श्री मूकनाराम के वंशज है और हिन्दु विधि से शासित होतें है। कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 412, 414, 415 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0485, 15.8564 कुल रकबा 15.9373 हैक्टेयर, मौजा–कागों की ढाणी, पटवार मंडल–पायलां कलां, तहसील सिणधरी मे आया हुआ है। कि प्रतिवादी संख्या । के पूर्व पुरुष स्व. श्री मूलाराम के जीवित समय मे वक्त सैटलमेन्ट में उनके नाम से उक्त खसरो की भुमि का प्रथम जमाबंदी जारी की गयी थी। जिस पर वर्तमान में वादी व उनके पिताजी काबिज है और अपना कब्जा काश्त है। कि प्रतिवादी संख्या 02 नारणाराम अविवाहित होने के कारण उनके कोई जायज संतान नही है। इसलिये अपना नाम रखने व अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिये अपने बड़े भाई लुम्बाराम का पुत्र शंकराराम को गोद लिया गया, जिसका तहसील कार्यालय से दिनांक 13–06–2023 को पंजीयन गोदनामा करवाया गया है। इस प्रकार भूमि में वादी का 1/16 हिस्सा पैतृक हिस्से के अनुसार बनता है। अतःवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 412, 414, 415

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:54:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0485, 15.8564 कुल रकबा 15.9373 हैक्टेयर, मौजा–कागों की ढाणी, पटवार मंडल–पायलां कलां, तहसील सिणधरी में वादी का 1/16 हिस्सा को पृथक रुप से घोषित किया जावे।

हमनें वकील वादी की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रतिवादी संख्या 02 नारणाराम अविवाहित होने के कारण उनके कोई जायन्दा संतान नही है। इसलिये अपना नाम रखने व अपने वंश को आगे बढाने के लिये अपने बड़े भाई लुम्बाराम का पुत्र शंकराराम को गोद लिया गया, जिसका तहसील कार्यालय से दिनांक 13–06–2023 को पंजीयन गोदनामा करवाया गया है। वादग्रस्त भूमि के बन्दोबस्त रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त वादीगण के पितामह मूकनाराम के नाम दर्ज हुई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी मृत निर्वसीयती की सम्पति का अन्तरण उसी विधि के अनुसार होगा, जिसके कि वह वक्त मृत्यु अध्यधीन था। मूकनाराम जाति से जाट होने से हिन्दु विधि से शासित था। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावद्यानुसार नारणाराम के साथ उसके जाइन्दा पुत्र–पुत्रियों का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा तथा पृथक–पृथक 1/16–1/16 हिस्सा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 412, 414, 415 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0485, 15.8564 कुल रकबा 15.9373 हैक्टेयर, मौजा–कागों की ढाणी, पटवार मंडल–पायलां कलां, तहसील सिणधरी में वादी का 1/16 हिस्सा को पृथक रुप से घोषित किया जावे।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कागों की ढाणी, पटवार मंडल–पायलां कलां, तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 412, 414, 415 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0485, 15.8564 कुल रकबा 15.9373 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं.1 व 3 से 6 की प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी को प्रतिवादी सं. 2 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/16 हिस्सा वादी का, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:54:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner